

## आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़,

भूतल ब्लाक नं. 2 इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

(दूरभाष क्र. - 0771-2511507, फ़ैक्स - 0771-2221627 website- www.descg.gov.in Email-des hqcg@gov.in)

### // निविदा सूचना //

क्रमांक <sup>1229</sup> /2021 /आसांसं/बी.सू.का. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16.09.2021

माननीय उपाध्यक्ष(केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समीक्षा समिति, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के लिए एक चार पहिया वाहन(इनोवा क्रिस्टा) मासिक किराया आधार पर आवश्यकता है । वाहन प्रदाय करने हेतु इच्छुक स्थानीय फर्म/संस्था, ट्रेवल एजेंसी खुली निविदा प्रपत्र कार्यालय से रु. 100/- (एक सौ रु. मात्र) (Non Refundable) तथा अमानत राशि रु. 10,000/- (Refundable) DD/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के नाम से जमा कर खुली निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है । निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी इस कार्यालय के Website-www.descg.gov.in से डाउनलोड कर अथवा कार्यालय से दिनांक 20.09.2021 से प्राप्त किया जा सकता है तथा जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2021 समय 5.00 बजे तक एवं निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) अवलोकन किये जाने की तिथि 01.10.2021 समय दोपहर 3.00 बजे ।

आदेशानुसार  
संचालक

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

वाहन किराये से लिये जाने हेतु खुली निविदा

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अन्तर्गत कार्यालय में वाहन उपलब्ध नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष(केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समीक्षा समिति, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के लिए एक चार पहिया वाहन(इनोवा क्रिस्टा) मासिक किराया आधार पर आवश्यकता है । जिसका संभावित वार्षिक व्यय 8.50 लाख है । निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लें।

तकनीकी मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अर्हता:-

1. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु 100/- का बैंक ड्राफ्ट संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में देय होगा । जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा ।
2. अमानत राशि रु. 10000/- संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के नाम से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा । पूर्व में जमा किये गये निविदाकर्ताओं की अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चे मान्य किया जावेगा, केवल जमा की गई बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की जानकारी उपलब्ध करावें।
3. निविदाकर्ता फर्म के पास टैक्सी परिमित होनी चाहिए जिसमें निविदाकर्ता फर्म/कंपनी/संस्था के नाम से न्यूनतम 03 वाहन पंजीकृत होना चाहिए । (परिवहन विभाग द्वारा जारी वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
4. निविदाकर्ता फर्म का एक शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित हो।(कार्यालय के नाम से बैंक पास बुक, बिजली बिल इत्यादि की छायाप्रति संलग्न करें)।
5. निविदाकर्ता का GST/ST पंजीयन होना चाहिए ।(यदि संबंधित नियम के दायरे में ओत हो।) (कर विभाग द्वारा जारी किये गये GST/ST पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।
6. निविदाकर्ता फर्म की विद्यमानता (Existence) निविदा दिनांक के पूर्व से न्यूनतम 3 वर्ष होना चाहिए।(नगर निगम/कंपनी/फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. संस्था में वाहन चालक की न्यूनतम संख्या 03 होनी चाहिए, जिनका वैध वाहन चालक अनुज्ञा होनी चाहिए ।(ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें)
8. न्यूनतम तीन वर्ष का सीए सर्टिफिकेट/ ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।

संचालक  
29/09/2021

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर


## परिशिष्ट-अ

### नियम एवं शर्तः-

1. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जाम रखा जावेगा और संविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापसी की जावेगी । उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी ।
2. प्रतिमाह किराया दर में वाहन 2500 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा ।
3. वाहन प्रतिमाह दर में 2500 कि.मी. चलने के उपरान्त प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा ।
4. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा ।
5. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा । वाहन का रोड टैक्स/बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा । वाहन का रोड टैक्स व बीमा(कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए । जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी ।
6. अनुबंधित वाहन, माननीय उपाध्यक्ष(केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समीक्षा समिति, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के आधिपत्य में रहेगा ।
7. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा । वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी । यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी । वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा ।
8. वाहन की मरम्मत रख-रखाव एवं समस्त अन्य खर्च वाहन मालिक द्वारा देय होगा । वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख-रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व निविदाकर्ता फर्म की होगी ।
9. वाहन पर सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था निविदाकर्ता फर्म को करना होगा ।
10. किराये पर लिये गये वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा ।
11. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी के प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा । देयकों का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात् मासिक आधार पर किया जावेगा ।

12. देयक तीन प्रतियों में लाग बुक/लाग कार्ड के साथ तत्काल अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक/खाते के माध्यम से किया जावेगा। निविदाकर्ता कर्म अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संबंधित विभाग का होगा। विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व निविदाकर्ता फर्म द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
14. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा तथा उसकी सीमा क्षेत्र जिला रायपुर छत्तीसगढ़ होगा।
16. न्यूनतम निर्धारित दरों पर प्रथम निविदा प्रतिभागी द्वारा समय पर वाहन एवं सुविधा नहीं प्रदाय किये जाने की स्थिति में द्वितीय निविदा प्रतिभागी से समस्त सेवा लिये जाने का अधिकार कार्यालय का होगा।
17. समस्त प्रदायित वाहनों का पंजीयन केवल टैक्सी परमिट (Commercial Taxi) युक्त का उपयोग कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
18. कार्यालय द्वारा मांग की गई वाहन का टैक्सी परमिट (Commercial Taxi) पंजीयन मान्य होगा। प्राइवेट पंजीयन की दशा में समस्त प्रकार के कानूनी दायित्वों का निर्वहन निविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।
19. समय-समय पर पेट्रोल, डीजल अदि ईंधन की दरों में परिवर्तन की दशा में अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
20. चयन प्रक्रिया L1 (Lowest One) आधार पर की जावेगी।
21. सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि रोककर अन्य निविदा कर्ताओं को उनकी सुरक्षा निधि बिना ब्याज के साथ वापस कर दी जावेगी।
22. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
23. अनुबंध नवीनीकरण की दशा में EMD राशि को आगामी वर्षों हेतु मान्य किया जावेगा।
24. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र रायपुर, छ. ग. होगा।
25. वाहन चालक द्वारा तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।
26. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।

27. तकनीकी प्रस्ताव [परिशिष्ट – 'ब' तथा 'स'] को अलग लिफाफे में तथा वित्तीय प्रस्ताव [परिशिष्ट – 'द'] को अलग लिफाफे तथा दोनों प्रस्ताव को एक खुली लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जमा किया जावे।
28. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा का अवलोकन किया जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा का अवलोकन किया जावेगा।
29. उक्त निविदा की वैधता माननीय उपाध्यक्ष(केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समीक्षा समिति की कार्यावधि तक मान्य होगी।
30. सफल निविदाकर्ता को प्रदाय आदेश मिलने के 3 दिवस के अन्दर सहमति के साथ निर्धारित प्रारूप में वाहन चलाने हेतु करार नामा (अनुबंध पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी के द्वारा सत्यापित कराकर) देना होगा।
31. सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे हुए तथा पृष्ठ क्रमांक अंकित होने चाहिये।
32. निविदा शर्तों में परिवर्तन एवं निविदा निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित है।
33. निविदा फार्म प्राप्त करने एवं डाउनलोड किये जाने की तिथि दिनांक **20.09.2021** से तथा जमा करने की अंतिम तिथि **30.09.2021** समय 5.00 बजे तक एवं निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) अवलोकन किये जाने की तिथि **...01.10.2021** समय दोपहर 3.00 बजे स्थान- संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।

  
संचालक  
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,  
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - "ब"

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, अन्तर्गत  
वाहन किराये पर लिये जाने हेतु तकनीकी निविदा  
(एक अलग खुली लिफाफे में संलग्न कर)

फर्म द्वारा विवरण निम्नानुसार दिया जावे -

क्र	विवरण	हाँ/ नहीं में		
1	फर्म/ कंपनी का नाम			
2	फर्म/ कंपनी का पता			
3	मोबाइल नंबर			
4	एस.टी.डी. कोड के साथ फोन नंबर			
5	ईमेल			
6	पैन नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
		पैन नंबर:		
7	पंजीकरण क्रमांक/ वर्ष (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
8	CA Audit Report का विवरण	वर्ष: 2018-19	वर्ष: 2019-20	वर्ष: 2020-21
9	GST/सेवाकर पंजीकरण संख्या (GST/ST पंजीयन, यदि नियम के दायरे में हों) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	

10	कर विभाग से प्राप्त क्लियरेंस सर्टिफिकेट	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं		
11	अमानत राशि (संलग्न)	Rs.10000/-			
		<input type="checkbox"/> हाँ, DD No. ....	<input type="checkbox"/> नहीं		
12	संस्था का नाम जहाँ वाहनप्रदाय की गई हो। (विभिन्न वाहनों के विस्तार के साथ) (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।)	क्रमांक	शास. संस्था/संगठन का नाम	कब से	वाहन का विवरण
		1.			
		2.			
		3.			
13	संस्था में कार्यरत वाहन चालक की संख्या (डाइवर्स लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करें)				
14	संस्था में संलग्न वाहनों की संख्या	(a) स्वयं के वाहन..... (पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें) (b) संलग्न वाहन ..... (पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)			
15	वाहन का विवरण	क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन निर्माण का वर्ष	
		1			
		2			
		3			
16	व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता (निविदा संबंधी)	क्र.	नाम	पदनाम	पूरा पता/ मोबाईल नंबर
		1			
		2			
		3			
17	घोषणा पत्र राशि 100/- के स्टाम्प पेपर में जमा।	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं		

मालिक/ फर्म का

नाम .....

पता: .....

मोबा. ....

## परिशिष्ट - "स"

### घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार/ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black Listed) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तों को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/ फर्म का

नाम .....

पता .....

मोबा. ....

(नोट - उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तों को निविदाकर्ता द्वारा राशि 100/- के स्टाम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)

## परिशिष्ट - "द"

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, अन्तर्गत  
निजी वाहनों का किराया दर निर्धारण (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

(प्रारूप 1 - मासिक दर)

क्र.	वाहन का विवरण	किराया मासिक 2000 कि.मी. प्रतिमाह (सभी करों को समावेश)	किराया मासिक 2500 कि. मी. प्रतिमाह (सभी करों को समावेश करते हुए)	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि. मी. (सभी करों को समावेश करते हुए)
1	इनोवा (क्रिस्टा) वाहन			

नोट- L1 की गणना 2500 किमी को आधार मानकर की जावेगी।